



(☎022-22862703)
ई-मेल/e-mail-
usirw@dae.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
अं.स्वा.से.यो. अनुभाग CHSS SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan
छ.शि.म. मार्ग C.S.M. Marg
मुंबई/ Mumbai - 400 001

No. 201(10)/17/2025/IR&W-CHSS / 3584

मार्च March 24, 2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

- विषय : टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी), मुंबई के एक उप-केंद्र होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, मुल्लापुर, पंजाब की चिकित्सा सुविधाओं का मुल्लापुर/चंडीगढ़, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के लिए विस्तार के संबंध में।
- Subject : Extension of the medical facilities of the Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Centre, Mullanpur, Punjab - A sub centre of Tata Memorial Centre (TMC), Mumbai to the employees of Department of Atomic Energy residing at Mullanpur/Chandigarh, Punjab and nearby areas reg.

वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा विभाग और उसकी घटक इकाइयों/अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/डीई के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सहायता प्राप्त संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो सीएचएसएस के सदस्य हैं और मुल्लापुर/चंडीगढ़ (पंजाब) और उसके आसपास बसे हैं, उन्हें चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए सीएचएसएस के संबंधित स्थानों पर आना पड़ता है। इस आवश्यकता को दूर करने और संबंधित सीएचएसएस लाभार्थियों को स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, लाभार्थियों को टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी), मुंबई के एक उप-केंद्र, होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (एचबीसीएच एवं आरसी) द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत लाने का प्रश्न कुछ समय से विभाग के विचाराधीन था।

Presently, the retired employees of the Department of Atomic Energy (DAE) and its constituent units / approved Public Sector Undertakings / Aided Institutes under the administrative control of DAE who are the members of CHSS and settled down in and around Mullanpur/Chandigarh (Punjab) have to come to the respective places of CHSS for availing of medical treatment. In order to obviate this necessity and to enable the concerned CHSS beneficiaries to avail of the medical facilities locally, the question of bringing the beneficiaries

under the Scheme operated by Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Centre (HBCH & RC), a sub-centre of Tata Memorial Centre (TMC), Mumbai was under consideration of the Department for some time.

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि सीएचएसएस के ऐसे सदस्य, जो मुल्लांपुर/चंडीगढ़ (पंजाब) और उसके आसपास बसे हैं, उन्हें ऊपर उल्लिखित टीएमसी चिकित्सा योजना की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए। यद्यपि, संबंधित लाभार्थी बुनियादी सुविधाओं जैसे - योजना की सदस्यता की पात्रता, परिवार की परिभाषा, देय सीएचएसएस अंशदान की राशि आदि के संबंध में समय-समय पर संशोधित विभाग के सीएचएसएस नियमों द्वारा शासित होंगे, जहां तक यह उपचार के पहलुओं से संबंधित है, उन्हें एचबीसीएच और आरसी, मुल्लांपुर, पंजाब में संचालित टीएमसी योजना की शर्तों के तहत पूरी तरह से रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में, जबकि वे मूल रूप से डीईई योजना के सदस्य बने रहेंगे, उनका इलाज के उद्देश्य से इससे कोई संबंध नहीं होगा और एक बार इसमें नामांकित होने के बाद वे एचबीसीएच और आरसी, मुल्लांपुर, पंजाब में संचालित टीएमसी योजना का पूरी तरह से अभिन्न अंग होंगे।

It has now been decided to allow such of the members of the CHSS, who are settled down in and around Mullanpur/ Chandigarh (Punjab) to avail of the facility of the TMC medical scheme as referred above. Although, the concerned beneficiaries will be governed by the CHSS Rules of the Department as amended from time to time in regard to basic features such as –the eligibility to the membership of the Scheme, definition of family, amount of CHSS contribution payable etc., in so far as it relates to the treatment aspects, they will be fully placed within the condition of the TMC Scheme operated in HBCH & RC, Mullanpur, Punjab. In other words, while they would basically remain as members of the DAE Scheme, they will have no connection with the same for the purpose of treatment and will be totally part and parcel of the TMC Scheme operated at HCBH & RC, Mullanpur, Punjab in this regard once they get enrolled in it.

3. यह योजना उन सभी लोगों को कवर करेगी जो डीईई योजना के सदस्य हैं और वर्तमान में मुल्लांपुर/चंडीगढ़ (पंजाब) शहर और आसपास के क्षेत्रों की नगरपालिका सीमा में रहते हैं। तदनुसार, मुल्लांपुर/चंडीगढ़ (पंजाब) में रहने वाले मौजूदा सदस्य अपने सीएचएसएस कार्ड निदेशक (प्रशासन), एचबीसीएच एवं आरसी, पंजाब प्लॉट संख्या 1, मेडिसिटी, मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़, जिला मोहाली, पंजाब - 140901 को सौंप देंगे, जो उन्हें अपनी योजना में नामांकित करेंगे और नए कार्ड जारी करेंगे। इसी प्रकार, कार्डों के पुनर्विधीकरण के लिए, निदेशक (प्रशासन), एचबीसीएच एवं आरसी, मुल्लांपुर, पंजाब को निर्धारित अंशदान राशि आदि के साथ आवेदन जमा करने की समान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जो लोग भविष्य में इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें निदेशक (प्रशासन), एचबीसीएच एवं आरसी, पंजाब को आवेदन करना होगा। इसके साथ ही, संबंधित सीएचएसएस से प्राप्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, जिसमें टीएमसी-सीएचएसएस योजना के सदस्य बनने की उनकी पात्रता का उल्लेख हो। इसमें देय अंशदान राशि

और नामांकन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों का विवरण भी शामिल होना चाहिए। संबंधित लाभार्थियों की मुल्लानपुर/चंडीगढ़ (पंजाब) शहर में आवासीय स्थिति सुनिश्चित करने के बाद, निदेशक (प्रशासन), एचबीसीएच एवं आरसी, पंजाब आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने पर उन्हें सीएचएसएस कार्ड जारी करेंगे।

The Scheme will cover all those who are members of the DAE Scheme and presently settled down within the municipal limits of the Mullanpur / Chandigarh (Punjab) city and nearby areas. Accordingly, the existing members staying in Mullanpur / Chandigarh (Punjab) would surrender their CHSS Cards to the Director (Administration), HBCH & RC, Punjab Plot No. 1, Medicity, Mullanpur, New Chandigarh, District Mohali, Punjab - 140901, who will enroll them in their Scheme and issue new cards. Similarly, for revalidation of the cards, the same procedure of submitting application with the prescribed amount of contribution etc., to Director (Administration), HBCH & RC, Mullanpur, Punjab would be followed. Those who desire to join the Scheme in future would also apply to Director (Administration), HBCH & RC, Punjab supported with a certificate from the concerned CHSS as to their eligibility to become members of the TMC-CHSS Scheme also indicating there in the amount of contribution payable and details of the members of the family eligible to be enrolled. After ensuring the residential locality of the concerned beneficiaries in Mullanpur / Chandigarh (Punjab) city, Director (Administration), HBCH & RC, Punjab will issue CHSS cards to them on completion of the requisite formalities.

4. सीएचएसएस अंशदान की राशि टीएमसी द्वारा रखी जाएगी और वित्तीय वर्ष में सदस्यों से प्राप्त अंशदान के बराबर राशि काटने के बाद, प्रति व्यक्ति व्यय विवरण तैयार किया जाएगा और प्रतिपूर्ति के लिए टीएमएच, मुंबई को प्रस्तुत किया जाएगा। सीएचएसएस योजना पर किए गए व्यय का दावा टीएमएच, मुंबई द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सीधे बीएआरसी, मुंबई से किया जाएगा। अधिकृत चिकित्सा परिचारकों, मान्यता प्राप्त अस्पतालों आदि के बारे में जानकारी और उपचार के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी एचबीसीएच एंड आरसी, पंजाब से प्राप्त की जा सकती है।

The amount of CHSS contribution will be retained by TMC and after deducting an amount equal to the contribution received from members in a financial year, the per-capita expenditure statement will be prepared by HBCH&RC, Mullanpur and submitted to TMH, Mumbai for reimbursement. **Expenditure on CHSS scheme will be claimed by TMH, Mumbai directly from BARC, Mumbai** after completion of that financial year. The details regarding Authorized Medical Attendants, recognized hospitals etc., and the procedures to be followed for taking treatment can be obtained from HBCH & RC, Punjab.

5. जबकि लाभार्थियों को एचबीसीएच और आरसी, पंजाब में संचालित टीएमसी चिकित्सा योजना से उपचार लेने की अनुमति है, वे सीएचएसएस की मूल विशेषताओं द्वारा शासित रहेंगे और समय-समय पर विभाग द्वारा जारी किए गए सभी आदेश, संशोधन आदि, जहां भी आवश्यक हो, उन पर लागू होंगे।

While the beneficiaries are allowed to take treatment from the TMC medical Scheme operated at HBCH & RC, Punjab, they will remain governed by the basic features of the CHSS and all orders, amendments, etc., issued by the Department from time to time, wherever necessary, will be applicable to them.

6. यह विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority in the Department.

शर्मिला एन. शेंडे
24/3/2026
(शर्मिला एन. शेंडे / Sharmila N. Shende)

अवर सचिव (अं.स्वा.से.यो.) / Under Secretary (CHSS)

1. निदेशक, भापअकेंद्र, मुंबई Director, BARC, Mumbai
2. निदेशक, टीएमसी, मुंबई Director, TMC, Mumbai
3. प्रशासनिक अधिकारी-III, आईआरबी, मुंबई Administrative Officer-III, AERB, Mumbai

Copy to:

1. डीई के सभी सीएचएसएस प्रशासनिक प्राधिकरण All CHSS Administrating Authorities of DAE
2. नियंत्रक, भापअकेंद्र, मुंबई Controller, BARC, Mumbai
3. प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, भापअकेंद्र अस्पताल, मुंबई Head, Medical Division, BARC Hospital, Mumbai
4. निदेशक (प्रशासन), टीएमसी, मुंबई Director (Administration), TMC, Mumbai
5. निदेशक (प्रशासन), एचबीसीएच और आरसी, मुल्लांपुर, पंजाब Director (Administration), HBCH & RC, Mullanpur, Punjab
6. प्रमुख, लेखा विंग / आईएफए, बीएआरसी, मुंबई Head, Accounts Wing / IFA, BARC, Mumbai.